



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक-264 /12-1 :देहरादून: दिनांक:

भारत
जुलाई, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :-जनपद-उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/41387/2018

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-08बी/यू0सी0पी0/06/187/2019/एफ0सी0/719 दिनांक:-24.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक:-24.07.2020 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्रांक 3605/12-1 दिनांक 15.06.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है : -

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.072 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम छमरोटा सिविल खसरा नं0 2368 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guidelie para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वन भूमि के नामान्तरण हस्तान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है, जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2)

96

	अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) प्रभागीय वनाधिकारी, टोंस वन प्रभाग, पुरोला द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्वन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्या: 202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.536 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, टोंस वन प्रभाग, द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 4.536 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रुपये 38,32,920.00 (अड़तीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ बीस) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। (संलग्नक-3) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1242 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्वन्धी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-5)
7	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and work commencement before state-II approval per guidelines para 11.2. Nodal will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी, टोंस वन प्रभाग, पुरोला द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से एन0पी0वी0 की धनराशि रुपये 38,32,920.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु0 30,58,934.00 अर्थात् कुल धनराशि रु0 68,91,854.00 (रुपये अड़सठ लाख इक्कानवे हजार, आठ सौ चौब्वन) मात्र क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। (संलग्नक-3 के अनुसार)

	नहीं की जायेगी।	(संलग्नक-17)
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफरी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसी पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-18)
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-19)
23	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-20)
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-21)
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-22)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, टॉस वन प्रभाग, पुरोला द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-264/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टॉस वन प्रभाग, पुरोला।
3. अधिशारी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)।



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई, सि0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 292 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0

दिनांक 08/04/2024

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग
पुरोला (उत्तरकाशी)

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/187/2019/एफ0सी0/719, दिनांक 24/07/2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0 347/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0 दिनांक 08.06.2016 द्वारा 04 प्रतियों में मूल प्रति सहित प्रेषित कर दी गई थी, पुनः दो प्रतियां अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून एवं एक प्रति वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार प्रेषित है-

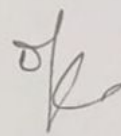
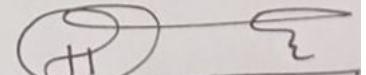
क0 सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 1 की छायाप्रति संलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	अभिलेख संलग्न है, सचिव उत्तराखण्ड शासन वन के पत्रांक संख्या-1528/X-3-23/I(130)/2019 द्वारा संरक्षित वन घोषित एवं वन विभाग का हस्तान्तरित है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
4	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.072 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम छमरोटा सिविल खसरा नं0 2368 के प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline Para 2.4(I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	अभिलेख संलग्न है, सचिव उत्तराखण्ड शासन वन के पत्रांक संख्या-1528/X-3-23/I(130)/2019 द्वारा संरक्षित वन घोषित एवं वन विभाग का हस्तान्तरित है।

08/04/24

	(ग) वन मडल अधिकार द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	डी0एफ0ओ0 पुरोला से सम्बन्धित है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0(Pt,2) दिनांक 18.09.203 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 ए0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.536 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 8-9 सलंगन है प्रमाण पत्र संख्या- 3 सलंगन है
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1242 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के के संख्य पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रमाण पत्र संख्या- 10 सलंगन है
7	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement or work before Stamp II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activities carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	डी0एफ0ओ0 पुरोला से सम्बन्धित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	प्रमाण पत्र संख्या- 11 सलंगन है
9	एफ0आर0ए0 2005 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 12-26 सलंगन है
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 27 सलंगन है
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ के गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रमाण पत्र संख्या- 28 सलंगन है
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगार्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति करेगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 29 सलंगन है
13	केन्द्र सरकार की पूर्णनुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 30 सलंगन है
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 31 सलंगन है
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 32 सलंगन है
16	संबंधि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 33 सलंगन है

17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 34 सलंगन है
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 35 सलंगन है
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 36 सलंगन है
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रमाण पत्र संख्या- 37 सलंगन है
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रमाण पत्र संख्या- 38 सलंगन है
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रमाण पत्र संख्या- 39 सलंगन है
23	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 40 सलंगन है
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। वो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रमाण पत्र संख्या- 41 सलंगन है
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रमाण पत्र संख्या- 42 सलंगन है

सलंगनक- उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में।



 अधिशासी अभियन्ता
 पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0
 पुरोला उत्तरकाशी

पत्रांक / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 / पुरोला / तदिनांक

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तरकाशी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित-


 अधिशासी अभियन्ता
 पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0
 पुरोला उत्तरकाशी

(1)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में अध्याप्त की गई भूमि की विधिक परिस्थिति किसी भी दशा में बदली नहीं जायेगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजार्थ जिला उत्तरकाशी में रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष अतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ख० (अन्य कृषि योग्य बंजर) भूमि के 9.072 है० क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं :-

तालिका

क्र०सं०	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	चयनित क्षेत्रफल (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उत्तरकाशी	पुरोला	छमरोटा	2368 म०	9.072	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)इ
	योग-				9.072	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site					
Village-Banasari					
ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	78°5' 7577" E	30°45' 12.965" N	11	78°4' 57.730" E	30°45' 18.048" N
2	78°5' 15.695" E	30°45' 22.726" N	12	78°5' 0.465" E	30°45' 15.156" N
3	78°5' 10.571" E	30°45' 24.430" N	13	78°5' 2.265" E	30°45' 14.742" N
4	78°5' 8.597" E	30°45' 24.630" N	14	78°5' 4.046" E	30°45' 16.037" N
5	78°5' 5.432" E	30°45' 23.680" N	15	78°5' 3.042" E	30°45' 18.638" N
6	78°5' 1.736" E	30°45' 21.510" N	16	78°5' 4.266" E	30°45' 21.033" N
7	78°4' 54.074" E	30°45' 20.597" N	17	78°5' 5.917" E	30°45' 21.512" N
8	78°4' 50.975" E	30°45' 16.193" N	18	78°5' 9.436" E	30°45' 19.775" N
9	78°4' 47.895" E	30°45' 16.715" N	19	78°5' 11.217" E	30°45' 19.691" N
10	78°4' 53.977" E	30°45' 18.546" N	20	78°5' 13.068" E	30°45' 20.521" N

Signed by Kahkashan
Naseem (कहकशा नसीम)

Date: 18-12-2023 अपर अक्षयि: 04

19

5228 / X-3-23/1(130)/2019 तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

वन भूतानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।

2. प्रमुख वन संरक्षक (MOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
8. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड(ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

Signed by Satya Prakash
Singh

Date: 18-12-2023 17:42:18

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)

उप सचिव।

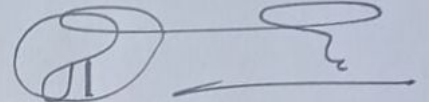
प्रमाण पत्र

गर्ग का नाम :- गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान विशेषज्ञ समिति से रैपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

खसरा प्रमाण :-

ग्राम- हमरोडा तहसील-पुरोसा, जिला- उत्तरकाशी

सं. क्र.	कुल खसरा (ह)	प्रस्तावित खसरा (ह)	नाम खातेदार	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	11.133	9.072	उत्तराखण्ड सरकार कालि (इ. ३३)	खसरा संख्या 2368 मध्ये 9.072 हे प्रस्तावित
7)	11.133	9.072	-	-

20/11/18
[Signature]

[Signature]
राजस्व उपनिरीक्षक
मंजोली

संख्या ११३३/१०

२३-०५-२००५ (२३.५.०५)

१५२१-१४२१ १४२६-०५०५-०५०५

१५०६.५५३

२५०३.२५६

X X

२३६८९९.९३३

X X

२३६८९९.९३३

२३६८९९.९३३

२३६८९९.९३३

२३६८९९.९३३

२३६८९९.९३३

२३६८९९.९३३

२३६८९९.९३३

6
[कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला। (उत्तरकाशी)।]

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in phone/fax-01373-223328

पत्रांक 222/12-1 दिनांक, पुरोला, 30/07/2020।
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई,
सिंघाई खण्ड, पुरोला,
उत्तरकाशी।

विषय- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.538 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- भारत सरकार की वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरमध्य क्षेत्र) के पत्रांक सं0-8वीं/यू0सी0पी0/08/187/2019/एफ0सी0/719 दिनांक 24-07-2020।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु संलग्न डिमान्ड नोट (मांग पत्र) प्रेषित किया जा रहा है। मांग पत्र के अनुसार एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीघ्र विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

प्रतिनिधि-अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

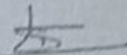
(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मुन्धियाटगाँव ग्राम मोटर मार्ग के किमी 1.60 से ब्यापक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रबोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	दस्तावेजित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	ईको क्लास भेणी	हरियाली का घनत्व	भद का विवरण	क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति हे० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक सं०-872/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वार्षिक 2019-20 हेतु निर्धारित दर के अनुसार	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					1. NPV	4.536	8,45,000/-	38,32,920.00
2	FP/UK/ROAD/41387/2019	4.536	5	0.5	2. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय रख-रखाव हेतु	9.072	3,37,184/-	30,58,934.00
Total:-								68,91,854.00
Or Say:- Sixty eight lacs ninty one thousand eight hundred fifty four only								

नोट- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा नहीं की जाती है तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के निर्धारित दर के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।


(सुबोध कुमार काज़ा)
प्रभागीय वनधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
Union Bank
OF INDIA

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-08-2020

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6141387505
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/187/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Puroila (Uttarkashi) Uttarkashi
Amount(in Rs)	6891854/-

Amount in Words : Sixty-Eight Lakh Ninety-One Thousand Eight Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- * This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक
Union Bank
OF INDIA

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-08-2020

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6141387505
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/187/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Puroila (Uttarkashi) Uttarkashi
Amount(in Rs)	6891854/-

Amount in Words : Sixty-Eight Lakh Ninety-One Thousand Eight Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- * This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

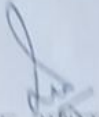
After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (Ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Status
FP/UK/ROAD/11496/2015	ROAD114962015920	6111496820	Nagan Gaon to Kural Motor Road	Road	1.129	PMGSYTD PUROLA	04-3-2016	10-2-2023	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/123853/2021	ROAD123853202165361123853653		Construction of Nalbar to Helwan motor road	Road	3.0568	PMGSYTD PUROLA	06-7-2022	17-8-2022	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/123523/2021	ROAD123523202105061123523050		Construction of Hargwan to soma motor road	Road	6.037	PMGSYTD PUROLA	05-5-2022	19-5-2022	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/123820/2021	ROAD123820202121561123820215		Construction of Pawan to Sarga Motor Road	Road	2.485	PMGSYTD PUROLA	07-3-2022	12-4-2022	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/123812/2021	ROAD123812202106161123812061		Construction of Nalbar to Nuranu motor road	Road	3.062	PMGSYTD PUROLA	21-12-2021	08-2-2022	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/29640/2017	ROAD296402017572	6129640572	Construction of Banas to Durbil Motor Road.	Road	2.16	PMGSYTD PUROLA	21-10-2020	20-11-2020	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/43650/2019	ROAD436502019664	6143650664	Construction of Saur to Osala motor road	Road	22.2165	PMGSYTD PUROLA	30-9-2020	28-10-2020	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/41387/2019	ROAD413872019505	6141387505	RAMPA TO SYALUKA	Road	4.536	PMGSYTD PUROLA	24-7-2020	10-8-2020	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/34189/2018	ROAD341892018621	6134189621	Construction of Odala to Siras Motor Road in Block Morf, District (Uttarakshi), Under PMGSY.	Road	3.5385	PMGSYTD PUROLA	31-1-2020	18-2-2020	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/33852/2018	ROAD338522018079	6133852079	Mon to Saira Motor Road Under PMGSY	Road	10.787	PMGSYTD PUROLA	01-11-2019	13-11-2019	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/23445/2017	ROAD234452017993	6123445993	Construction of Nagan Pura MR km 2 To Thul Gaon	Road	11.6735	PMGSYTD PUROLA	29-4-2019	02-9-2019	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/31650/2018	ROAD316502018207	6131650207	Construction of Ranachoti to Nisri Motor Road	Road	1.935	PMGSYTD PUROLA	13-6-2019	20-6-2019	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/23290/2016	ROAD232902016518	6123290518	NH 94 KHARADI NAGADGAON KM 9.00 TO ROAD BACHAN GAON UNDER PMGSY	Road	1.346	PMGSYTD PUROLA	25-6-2019	20-8-2019	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/11303/2015	ROAD113032015835	6111303835	Semlaeri to garf	Road	4.165	PMGSYTD PUROLA	25-9-2018	31-1-2019	☒ Paid	Paid	☒ Paid
FP/UK/ROAD/23116/2016	ROAD231162016176	6123116176	Construction of Arakt Bhutanu motor road km 10.00 to Damel	Road	8.3	PMGSYTD PUROLA	19-6-2018	22-7-2018	☒ Paid	Paid	☒ Paid

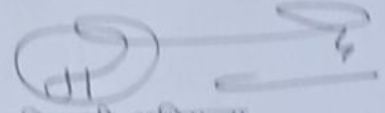
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- मुन्दिथाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से रयालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 हे० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मुन्दिथाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से रयालुका मोटर मार्ग में कम से कम वृक्षों का कटान एवं पातन किया जायेगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1242 से अधिक नहीं होगी।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

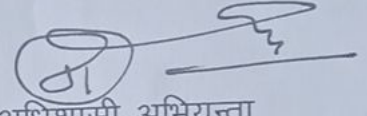
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.500 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, -पुरोला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, पुरोला

उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है0, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात् कुल 4.5360 है0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-पुरोला) की दिनांक 09/11/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पुरुषोत्तम सिंह राणा, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1 श्री पुरुषोत्तम सिंह राणा उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2 श्री आर.ए.ए. शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3 श्री प्रकाश भट्टा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक सत्यापन अधिकारी
- 4 श्री मती किशोरी बी0डी0सी0 क्षेत्र पुरोला (उत्तरकाशी) सदस्य

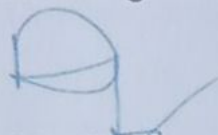
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना हेतु 4.5360 है0 वन भूमि (4.0320 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.5040 है0 सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि से संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी टोंस वन प्रभाग पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 4.5360 है० वन भूमि (4.0320 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.5040 है० सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पुरोला,
जनपद-उत्तरकाशी

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पुरोला,
जनपद-उत्तरकाशी

FORM-I
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No. 179/2018

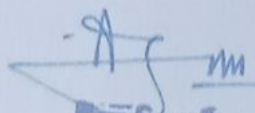
Dated 5-11-2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 4.5360 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D Uttarakhand for New Road Construction in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Syaluka village in Purola Tehsils.

It is further certificated that:

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4.5360 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure
- (b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.


 जिलाधिकारी
 Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT - ~~UTTARKASHI~~ (UTTARAKHAND)

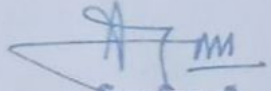
Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Uttarkashi District – Uttarkashi constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. ~~Ashish Chauhan~~ A.S. District Magistrate on Dated 5-11-2018 at 11 AM at Uttarkashi in which the application claiming rights in Mail area measuring 4.5360 Hect for the Construction of Gundiya Gaon Rama M/R Km. 1.00 to Syaluka Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of Purola were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi

Dated: 5-11-2018


जिलाधिकारी
District Magistrate
District level Committee

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जनपद उत्तरकाशी

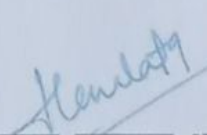
पत्रांक:-

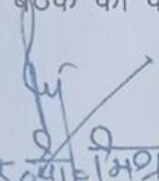
दिनांक:-

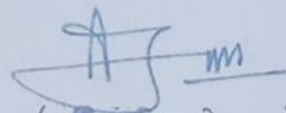
वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 5.11.20 को जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग के किमी 0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 4.5360 हैक्टेयर भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-पुरोला द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी-पुरोला की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 4.5360 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के पुरोला रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी- पुरोला की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

()
जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तरकाशी

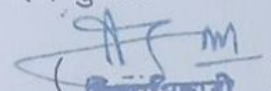
()
(आर. एस. मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
टोंस वन प्रभाग

()
(जिलाधिकारी)
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

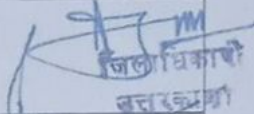
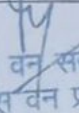
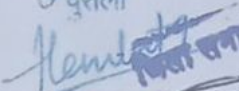
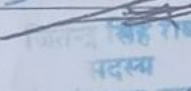
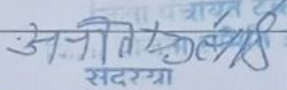
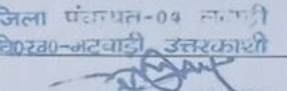
पृ0स0 / डी0एल0आर0सी0 / दिनांक

प्रतिलिपि:-

1 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला

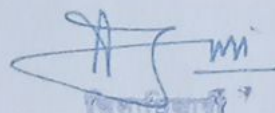
()
(जिलाधिकारी)
जिलाधिकारी

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरोला खण्ड के रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.5340 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 5-11-2018 को जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हुए।

क्र० सं०	अधिकारी/सदस्यों का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशीष चौहान	जिला अधिकारी उत्तरकाशी	 जिला अधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री आर०पी० मिश्रा	प्रमाणित वनाधिकारी वन प्रभाग टोंक्स पुरोला	 उप वन संरक्षक टोंक्स वन प्रभाग, पुरोला
3	श्री हेमलता पांडेय	जिला समाज कल्याण आधिकारी	 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	 जिला पंचायत सदस्य टकनौर
5	श्री अनिता गुंसाई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	 जिला पंचायत सदस्य कन्सेण
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	 जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव

It is certified that-Minutes of meeting of Construction of Gundiyaad Gaon Rama M/R Km. 1.00 to Syaluka Motor Road Km. 7.750 Motor Road regarding FRA is as following

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 4.536 hect. Of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right Committee (s), sub division Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid Motor Road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.



(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi

परियोजना का नाम: जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.750 किमी०)
वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।
ग्राम पंचायत का नाम-गुन्दियाट गांव
तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी

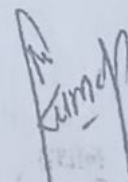
उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है०, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम्य पंचायत गुन्दियाट गांव द्वारा दिनांक 13-03-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुन्दियाट गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव



ग्राम प्रधान

दिनांक 13-01-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम जुन्दिमाट गाँव

क्र०स०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री राम कला	श्री राम कला
2.	श्री मोहन लाल	श्री मोहन लाल
3.	श्री च-दीदी	श्री च-दीदी
4.	श्री जितेंद्र रावत	श्री जितेंद्र
5.	श्री पुरन-चन्द	श्री पुरन-चन्द
6.	श्री राजवर्धन रावत	श्री राजवर्धन
7.	श्री कुन्दन लाल	श्री कुन्दन लाल
8.	श्री लक्ष्मीप्रसाद - गिवाल	श्री लक्ष्मीप्रसाद
9.	श्री राधेश्याम - गिवाल	श्री राधेश्याम
10.	श्री प्रेमलाल	श्री प्रेमलाल
11.	श्री गोविन्द राम - गिवाल	श्री गोविन्द राम
12.	श्री शान्तिप्रसाद - गिवाल	श्री शान्ति प्रसाद
13.	श्री सुखार सिंह	श्री सुखार सिंह
14.	श्री श्याम सिंह - गिवाल	श्री श्याम सिंह
15.	श्री सचिन लाल	श्री सचिन लाल
16.	श्री प्रताप लाल	श्री प्रताप लाल
17.	श्री सुन्दर सिंह - गिवाल	श्री सुन्दर सिंह
18.	श्री राम - गिवाल	श्री राम
19.	श्री प्रताप सिंह	श्री प्रताप सिंह
20.	श्री प्रभाकर	श्री प्रभाकर
21.	श्री गोविन्द धारलाल	श्री गोविन्द
22.	श्री राजवर्धन रावत	श्री राजवर्धन
23.	श्री सचिन लाल	श्री सचिन लाल

श्री राम

परियोजना का नाम: जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.750 किमी०)

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-रोन
तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है०, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम्य पंचायत रोन द्वारा दिनांक 13.03.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रोन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

सुमित्रा
प्रधान

ग्राम पंचायत रोन
पुरोला (उत्तरकाशी)

दिनांक 12.03.11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम रोहता

क्र०स०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगमोहन	जगमोहन
2	1-द लाल	चलक
3	जगवन्त प्रसाद	जगवन्त
4	रमेश चन्द	रमेश चन्द
5	श्रीराधेश्वर रतूडी	श्रीराधेश्वर
6	श्री सत्यनारायण सिंह	श्री सत्यनारायण
7	श्रीमती आम्बा देवी	आम्बा
8	श्रीमती नमिता देवी	नमिता देवी
9	श्री रामचन्द्र सिंह	रामचन्द्र
10	श्री राजपाल सिंह	राजपाल
11	श्री प्रताप सिंह	प्रताप
12	श्रीमती पूजा देवी	पूजा देवी
13	श्री सत्यनारायण सिंह	सत्यनारायण
14	श्री राजेंद्र राजवाड	राजेंद्र
15	श्री सुभाष राजवाड	सुभाष
16	श्रीमती सराज्या देवी	सराज्या
17	॥ सत्यनारायण देवी	सत्यनारायण
18	॥ नमिता देवी	नमिता
19	श्री प्रताप रतूडी	प्रताप
20	श्री राजेंद्र सिंह	राजेंद्र

23/03/11

प्रारूप-23

गा का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का निर्माण। लम्बाई - 7.750km.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - स्यालुका

तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

खण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) कुल 4.5360 है० वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यालुका ग्राम डेय रिमड़ी द्वारा दिनांक 12/2/20 पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्यालुका के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु देने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर :-

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम सचिव
मुहर सहित
पुरोला (उत्तरकाशी)

जम्मीरुल्लाह

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र-23.1

दिनांक - 11-05-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - खुआलुवा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पताप सिंह s/o कुंवर सिंह	हस्ताक्षर
2	हार्म सिंह s/o बचन सिंह	हस्ताक्षर
3	गोत सिंह s/o हुकूम सिंह	गोत सिंह
4	नरेश चन्द s/o आनंद सिंह	नरेश चन्द
5	देवेन्द्र सिंह s/o भुवनेश्वर सिंह	देवेन्द्र सिंह
6	भुवनेश्वर सिंह s/o सुरत सिंह	भुवनेश्वर सिंह
7	भुवनेश्वर सिंह s/o बचन सिंह	भुवनेश्वर सिंह
8	पताप सिंह s/o अजय सिंह	पताप सिंह
9	गोदीन सिंह s/o जगमोहन सिंह	गोदीन सिंह
10	उपेन्द्र सिंह s/o जगमोहन सिंह	उपेन्द्र सिंह
11	अशोक कुमार s/o कमलदास	अशोक
12	विलेन्द्र सिंह रावत s/o स्व. केवल सिंह	विलेन्द्र सिंह
13	विलेन्द्र सिंह s/o स्व. विलेन्द्र सिंह	विलेन्द्र सिंह
14	देवेन्द्र सिंह s/o स्व. नागू	देवेन्द्र सिंह
15	राजेश रावत s/o श्री कुंवर सिंह	राजेश
16	पप्पू रावत s/o स्व. जयपाल सिंह	पप्पू रावत
17	अजयपाल सिंह s/o नल्लू सिंह	अजयपाल सिंह
18	भुवनेश्वर चन्द s/o गजपाल	भुवनेश्वर चन्द
19	कमलदास s/o पुन दास	कमलदास
20	रमेश सिंह s/o गजपाल सिंह	रमेश सिंह

प्रारूप-23

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी 0 1.00 से स्यालुका तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का निर्माण। लें - 7.750 Km.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - स्यालुका

तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी 0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है० वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यालुका

ग्राम स्यालुका

द्वारा दिनांक 12/8/18

को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम

के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

जयवीरलाल

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दिनांक - 11-05-2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

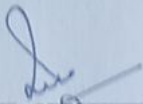
ग्राम पंचायत का नाम - (सिद्धिस्थली) रामपुरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रो. जयपाल सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	प्रो. जयपाल सिंह
2	रामेश राम 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
3	रामेश सिंह राम 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
4	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
5	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
6	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
7	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
8	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
9	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
10	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
11	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
12	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
13	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
14	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
15	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
16	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
17	रामेश सिंह 5/0 रामपुरा सिंह	रामेश सिंह
18		
19		
20		

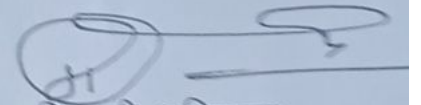
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों-बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

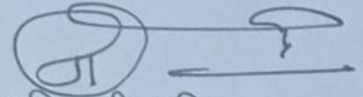
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

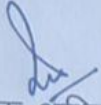


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

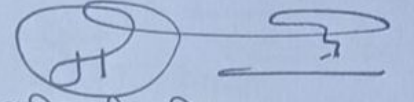
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति करेगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

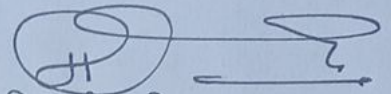
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावा यका ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजूदरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

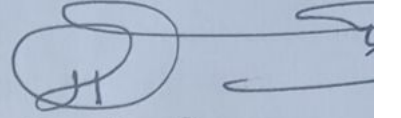
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यार्वित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



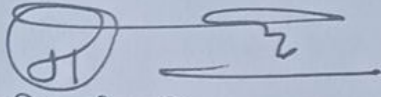
अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में परियोजना कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

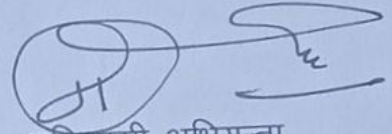
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रत्योक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

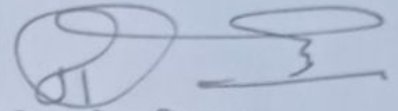
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



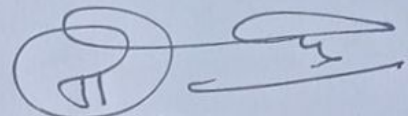
अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

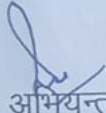

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

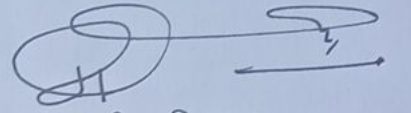

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त से सम्बन्धित किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या-11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

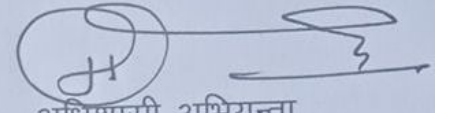
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित लागू शर्तों का पालन किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)



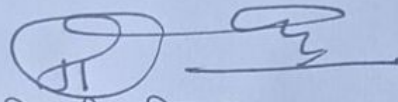
अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

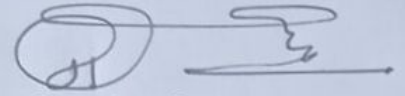
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त करना प्रयोक्ता एंजेसी की जिम्मेदारी होगी।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

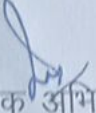


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग की अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिसूचनी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)